पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 19.12.2025

मिशन शक्ति 5.0

अलीगंज में शक्ति का संदेश, सुरक्षा व्यवस्था से कराया अवगत।

थाना अलीगंज क्षेत्र के श्री हनुमान मंदिर, अलीगंज के पास मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र के कार्यों के बारे में जानकारी देकर बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

उपनिरीक्षक रवींद्र नाथ प्रजापति

महिला आरक्षी दुर्गेश वर्मा

आयोजक/आयोजन स्थल

- उ0नि0 श्री रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- श्री हनुमान मंदिर, अलीगंज के पास में मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रतिभाग-

- उ0नि0 श्री रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी दुर्गेश वर्मा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- श्री हनुमान मंदिर, अलीगंज के पास करीब 20-25 महिलाए एवं बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 19.12.2025 को अलीगंज टीम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वायड टीम व मिशन शक्ति टीम के द्वारा महिला सुरक्षा केंद्र, महिला सशक्तिकरण तथा साइबर जागरूकता अभियान के तहत श्री हनुमान मंदिर, अलीगंज के पास मे महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया।

"मिशन शक्ति" के लक्ष्य:

- **सुरक्षा जागरूकता:** महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा) की रोकथाम और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
- **शिक्षा का महत्व:** छात्राओं को शिक्षा के महत्व और करियर के अवसरों के बारे में प्रोत्साहित करना।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता:** महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी साझा करना।
- **डिजिटल सुरक्षा:** साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना।

उपरोक्त कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आयोजित यह जागरूकता सत्र स्थानीय महिलाओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों, उपलब्ध सुरक्षा तंत्रों तथा सहायता सेवाओं से सीधे जोड़ने का एक सार्थक प्रयास था। मिशन शक्ति 5.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से समुदाय स्तर पर किए जा रहे ऐसे नियमित प्रयास न केवल जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि एक सुरक्षित वातावरण निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे एक ऐसे समाज की नींव रखने में मदद मिलती है, जहाँ महिलाएं सशक्त, सजग और निर्भय होकर अपना विकास कर सकें।

पिंक बूथ टीम की भूमिका:

पिंक बूथ आमतौर पर पुलिस या महिला हेल्पलाइन से जुड़ी होती है। उनका सीधा संपर्क राहगीरों से होना एक प्रभावी तरीका है ताकि आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं और युवतियां, सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 19.12.2025

मिशन शक्ति 5.0:
पिंक बूथ से शुरू हुआ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का नया सफर

थाना मदेयगंज की पिंक बूथ 61 टीम द्वारा डालीगंज क्रॉसिंग पर पिंकबूथ के पास महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक करते हुए बच्चों एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप आदि के बारे में जानकारी देकर किया गया जागरूक।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की **पिंक बूथ** एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 आंचल सिंह, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- डालीगंज रेलवे क्रसिंग थाना मदेयगंज लखनऊ

प्रतिभाग-

- महिला का0 आंचल सिंह, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सुमन, पिंक बूथ 61 थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- डालीगंज रेलवे क्रसिंग पर (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.12.2025 को पिंक बूथ 61 की टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर पिंकबूथ के पास महिलाओं, छात्राओं एवं बच्चों को उनके साथ होने वाले अपराधों तथा उनके कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया, साथ ही यूपी- (यूपी कोप) एवं महिलाओं हेतु चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। मिशन शक्ति केंद्र' हेतु विशेष CUG नंबर के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- ✓ **भरोसा और पारदर्शिता:** ऐसे संवाद पुलिस और समुदाय के बीच की खाई को पाटते हैं। जनता की चिंताओं को सीधे सुनना और उनका समाधान बताना विश्वास बढ़ाता है।
- ✓ **डर का अंत:** अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। ऐसे माहौल में वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और बिना डर के आगे आ सकेंगी।
- ✓ **त्वरित कार्रवाई:** सीधे संवाद से समस्याओं को जल्दी समझा और हल किया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर किन चुनौतियों का सामना है, यह सीधे पता चलता है।
- ✓ **जागरूकता:** पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, सेल्फ-डिफेंस के गुर, और तकनीकी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती है।

महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम
- घरेलू हिंसा अधिनियम
- बाल विवाह निषेध अधिनियम
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

2. महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

- ✓ 1090 (वुमेन पावर लाइन)
- ✓ 112 (आपातकालीन सेवा)
- ✓ 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

3. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

- ➢ सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
- ➢ साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

महिलाओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई। मिशन शक्ति केंद्र' हेतु विशेष CUG नंबर के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- ✓ **भरोसा और पारदर्शिता:** ऐसे संवाद पुलिस और समुदाय के बीच की खाई को पाटते हैं। जनता की चिंताओं को सीधे सुनना और उनका समाधान बताना विश्वास बढ़ाता है।
- ✓ **डर का अंत:** अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। ऐसे माहौल में वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और बिना डर के आगे आ सकेंगी।
- ✓ **त्वरित कार्रवाई:** सीधे संवाद से समस्याओं को जल्दी समझा और हल किया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर किन चुनौतियों का सामना है, यह सीधे पता चलता है।
- ✓ **जागरूकता:** पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, सेल्फ-डिफेंस के गुर, और तकनीकी सहायता के बारे में जानकारी दे सकती है।

महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी

- दहेज प्रतिषेध अधिनियम
- घरेलू हिंसा अधिनियम
- बाल विवाह निषेध अधिनियम
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

2. महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

- ✓ 1090 (वुमेन पावर लाइन)
- ✓ 112 (आपातकालीन सेवा)
- ✓ 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

3. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

- ➢ सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
- ➢ साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

महिलाओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2890

दिनांक 19.12.2025

पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट लखनऊ में रिक्रूट महिला आरक्षियों के लिए POSH अधिनियम पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित।

- **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में 160 महिला रिक्रूट आरक्षियों के लिए POSH अधिनियम पर विशेष प्रशिक्षण।**
- **सुरम्य लाइफ फाउंडेशन ने महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण संबंधी विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं की प्रदान की गहन जानकारी।**
- **महिला कर्मियों को उनके अधिकारों और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका के प्रति जागरूक करना था।**
- **कार्यशाला पुलिस बल में सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल।**

आज दिनांक 19.12.2025 को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में रिक्रूट महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (**POSH Act, 2013**) के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें इस कानून की बारीकियों से अवगत कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अ0 एवं मु0) लखनऊ श्री अमित वर्मा व श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ श्री बब्लू कुमार के मार्गदर्शन में व पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री अनिल कुमार यादव के पर्यवेक्षण में एवं सुश्री शिप्रा पाण्डेय, सहायक पुलिस उपायुक्त कार्यालय लेखा, लखनऊ के नेतृत्व में, सुश्री अंशू श्रीवास्तव, संस्थापक एवं निदेशक, सुरम्य लाइफ फाउंडेशन मय टीम द्वारा **दिनांक 19.12.2025 को** रिजर्व पुलिस लाइन्स, कमिश्नरेट लखनऊ के **संगोष्ठी सदन** में उक्त प्रशिक्षण/कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।